Indian Express 12-January-2021

Colony being unauthorised no ground for denying water: HC

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JANUARY 11

HOLDING THAT residents cannot be deprived of the right to drinking water merely on the ground that theirs is an unauthorised colony, the Delhi High Court Monday directed the Delhi Jal Board (DJB) to make a scheme for supply of drinking water to residents in Defence Services Enclave in south Delhi and also requested the Ministry of Defence (MoD) to convene a meeting for a decision on regularising the area.

DJB had earlier told the court that the water pipeline can be laid in the area subject to clearance from the Urban Development Department, and currently, water is being supplied for drinking purposes through tube wells as an interim arrangement.

Justice Jayant Nath said in the verdict that it is settled legal position that right to access drinking water is fundamental to life and there is a duty of the State under Article 21 to provide clean drinking water to its citizens.

Water is currently being drawn through tube wells

"The petitioners have been residing in the said area for the last 50 years and cannot continuously be deprived of this right to access to drinking and potable water," the single-judge bench said in the ruling.

Requesting the Secretary, MoD to convene a meeting of functionaries who can take a decision in terms of directions passed by a division bench in March 2015, Justice Nath also said the Secretary of Ministry of Urban Development and Chief Secretary, Delhi may form part of the Committee.

"The said Committee so constituted by the Secretary, MoD is requested to take an appropriate decision as spelt out herein as per law expeditiously preferably within four months from today," the order reads.

The 53 petitioners before the court included veterans, decorated officers, war-widows and Armed Forces personnel and were allotted plots by MoD in Khanpur on agriculture land pursuance of a scheme formulated in 1961. However, the authorities in Delhi declared it an unauthorised colony as the allotment was for the purpose of farm houses and not residential purpose.

Millennium Post 12-January-2021

Every hydel project under obligation to release min water downstream: NGT

NEW DELHI: The National Green Tribunal has directed state pollution control boards to ensure the release of minimum water downstream by hydro-electric projects, saying business or commercial interests cannot override the requirement of maintaining riverine ecology.

A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel said every hydro-electric project (HEP) irrespective of the date of its commission is under an obligation to release minimum water downstream

This is a mandate of Sustainable Development' which is part of the right to life. Accordingly, the tribunal directed compliance by all the Hydro-Electric Projects (HEPs), including in States of Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, West Bengal (North Region), Assam and Jammu & Kashmir, the bench said.

Environmental flow describes the quantity, timing, and quality of water flows required to sustain freshwater and estuarine ecosystems and the human livelihoods and wellbeing that depend on these ecosystems.

The tribunal junked the submission of the National Hydroelectric Power Corporation seeking exemption from releasing water to maintain 15 per cent e-flow (the quantity and timing of water that is essential for the river to perform its ecological functions) during the lean period.

We do not find any substance in this submission. The mandate of Sustainable Development' has to be complied. We do not see any hurdle in doing so. Whatever changes are required for the purpose can certainly be done. PTI

Rashtriya Sahara 12-January-2021

न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करें जलविद्युत परियोजनाएं : एनजीटी

■ नई दिल्ली (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जलविद्युत परियोजनाओं से न्यूनतम जल का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि व्यापारिक और व्यावसायिक हितों की वजह से पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रत्येक जलविद्युत परियोजना (एचईपी) में न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, चाहे उसकी शुरुआत कभी भी हुई हो।

पीठ ने कहा, 'सतत विकास' के तहत यह जिम्मेदारी है जो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसी के अनुसार अधिकरण ने उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल (उत्तरी क्षेत्र), असम और जम्मू कश्मीर राज्यों समेत सभी जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा अनुपालन किए जाने का निर्देश दिया।'

न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें काम नहीं होने के दौरान 15 प्रतिशत ई-प्रवाह (नदी की पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जरूरी पानी की गुणवत्ता और समय) बनाए रखने के लिए पानी छोड़ने से छूट की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा, 'हमें इस दलील में कुछ तथ्य नजर नहीं आता। सतत् विकास के तहत कार्यों को पूरा करना होगा। हमें ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती। इस उद्देश्य से जो भी बदलाव जरूरी हैं, निश्चित रूप से किए जा सकते हैं।'

Hindustan 12-January-2021

गंगा प्रवाह का मामला तीन माह में निपटाएं : कोर्ट

नैनीताल | हमारे संवाददाता

हाईकोर्ट ने डॉ. भरत झुनझुनवाला की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि वे गंगा पर स्थापित जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के विवरण का प्रत्यावेदन जल शक्ति मंत्रालय को पेश करें।

पीठ ने जलशक्ति मंत्रालय को तीन माह के अन्दर इसे निस्तारित करने को कहा है। डॉ. भरत झुनझुनवाला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ

सुनवाई

- हाईकोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को दिए आदेश
- याची को परियोजनाओं के विवरण समेत प्रत्यावेदन देने के निर्देश

टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट को दरकिनार कर प्रवाह की मात्रा निर्धारित की है। छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा तय करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं लिया गया है। संस्थानों की रिपोर्ट में इन परियोजनाओं से करीब 50% पानी छोड़ने की बात कही गई थी।

Hindustan 12-January-2021

यमुना को प्रदूषित होने से बचाएगा महारानीबाग में बना वेटलैंड

अच्छी खबर

नई दिल्ली | अभिनव उपाध्याय

महारानीबाग के पास डीडीए के दक्षिणी दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क में नवनिर्मित वेटलैंड (नम भूमि) यमुना के प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा। यह वेटलैंड यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को शुद्ध करेगा। बता दें कि महारानीबाग नाले से रोजाना 500 एमएलडी तक सीवेज यमुना में जाता है।

योजना

- 11 वेटलैंड बनने पर 25 बड़े नाले साफ होकर नदी में गिरेंगे
- वेटलैंड से शुद्धिकरण के बाद पानी में ऑक्सीजन बढ़ेगी

महारानीबाग के अलावे इस योजना के तहत अन्य 11 वेटलैंट का काम भी 50 फीसदी हो चुका है, जिनके तैयार होने के बाद 25 बड़े नालों का 1500 एमएलडी सीवेज साफ होकर यमुना में गिरेगा।

बता दें अरुणा आसिफ अली मार्ग पर स्थित डीडीए के नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क में पहला वेटलैंड बनाया गया था। यहां पर पहले से एक एमएलडी सीवेज शुद्ध किया जा रहा है। बतौर पॉयलट प्रोजेक्ट इसके परिणाम सकारात्मक हैं। इसी के बाद यमुना किनारे 12 वेटलैंड की योजना बनी, जिसमें महारानीबाग वेटलैंट शुरू हो चुका है।

500 एमएलडी तक सीवेज रोजाना यमुना में गिरता महारानी बाग नाले से

03 किलोमीटर के अंदर 25 नाले यमुना में गिराते हैं 1500 एमएलडी सीवेज

12 वेटलैंड कुल बनाए जाने की योजना है यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए

डीएनडी के पास बने इस वेटलैंड के जरिए सीवेज को साफ कर उसे यमुना में गिराने से जल प्रदूषण कम होगा। ● मोहम्मद जाकिर

बिजली का इस्तेमाल नहीं

महारानी बाग के पास वेटलैंड का निर्माण डीयू के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स में कार्यरत प्रोफेसर सीआर बाबू के नेतृत्व में किया गया है। वह बताते हैं कि यमुना में गिरने वाले नाले के पानी को साफ करने की यह प्रक्रिया प्राकृतिक है। साथ ही यह एसटीपी से काफी सस्ता उपाय है।

25 हजार से अधिक पौधे

महारानीबाग के पास निर्मित वेटलैंड पर 25 हजार से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। पानी साफ होगा तो यमुना से लुप्त हो चुकी मछलियों के भी फिर से आने की संभावना है।

इस तरह काम करता है

यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. फैय्याज ए खुदसर बताते हैं कि वेटलैंड के तहत ऑक्सीडेशन तालाब और नाला का निर्माण किया जाता है। नाले में जाली में बोल्डर भरकर डाले जाते हैं जो पानी के फिजिकल फिल्टर का काम करते हैं। यह पानी में ऑक्सीजन भी बढ़ाता है। इससे बढ़ता हुआ सीवेज छोटे पत्थरों से बने ऊंची और नीची जगहों से होकर गुजरता है। इन नीची जगहों में पौधे लगे होते हैं, जो आर्गेनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से समाप्त कर देते हैं। अंततः सीवेज ही साफ नहीं होता, बल्कि बॉयलोजिकल आक्सीजन डिजाल्व (बीओडी) भी कम हो जाता है और घुलनशील ऑक्सीजन बढ़ जाती है। यह सबकुछ डीडीए के साउथ दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क में किया गया है।

Punjab Kesari 12-January-2021

जल का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश

नई दिल्ली, (भाषा): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जलविद्युत परियोजनाओं से न्यूनतम जल का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि व्यापारिक और व्यावसायिक हितों के कारण पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रत्येक जलविद्युत परियोजना (एचईपी) में न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, चाहे उसकी शुरुआत कभी भी हुई हो। पीठ ने कहा, 'सतत विकास' के तहत यह जिम्मेदारी है जो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसी के अनुसार अधिकरण ने उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल (उत्तरी क्षेत्र), असम और जम्मू कश्मीर राज्यों समेत सभी जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया।'' न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें काम नहीं होने के दौरान 15 प्रतिशत ई-प्रवाह (नदी की पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जरूरी पानी की गुणवत्ता और समय) बनाये रखने के लिए पानी छोड़ने से छूट की मांग की गयी थी।

- **व्यापारिक और व्यावसायिक हितों के कारण पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखने की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता:एनजीटी**

पीठ ने कहा, ''हमें इस दलील में कुछ तथ्य नजर नहीं आता। सतत विकास के तहत कार्यों को पूरा करना होगा। हमें ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं दिखाई देती। इस उद्देश्य से जो भी बदलाव जरूरी हैं, निश्चित रूप से किये जा सकते हैं।''